भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3966
(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)
स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन का वितरण

3966. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 के दौरान महाराष्ट्र में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कम संख्या में ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं और यदि हां, तो वितरित ड्रोनों तथा ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में, विशेषकर छिड़काव सेवाओं की सुनिश्चित मांग, अर्जित शुद्ध आय और प्रचालन एवं रखरखाव लागत की वसूली के संबंध में, एसएचजी द्वारा ड्रोन संचालन की वास्तविक आर्थिक व्यवहार्यता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है;
(ग) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां राज्य में बाजार संपर्क की कमी, मरम्मत संबंधित अधिक लागत, मौसमी मांग या अपर्याप्त अनुवर्ती सहायता के कारण ड्रोनों का कम उपयोग हुआ है;
(घ) क्या ड्रोनों की नियमित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए राज्य कृषि विभागों, एफपीओ या सहकारी समितियों के साथ समन्वय संबंधी कोई योजना बनाई गई है; और
(ङ) इस योजना को महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए निरंतर आजीविका वाली योजना बनने के बजाय, इसे परिसंपत्ति-केंद्रित योजना बनने से रोकने के लिए क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके 2023-24 में एसएचजी की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। वितरित किए गए इन 1094 ड्रोन में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वितरित किए गए हैं। इन सभी एसएचजी सदस्यों को डीजीसीए द्वारा प्राधिकृत रिमोट पायलट संगठनों (आरपीटीओ) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र में वितरित किए गए ड्रोन और ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): कृषि विकास एवं ग्रामीण रूपांतरण केंद्र (एडीआरटीसी), बेंगलुरु ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत एलएफसी द्वारा प्रदान किए गए 500 ड्रोनों पर ड्रोन संचालन की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि एसएचजी पहले मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न थे और उन्हें प्रदान किए गए ड्रोनों ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धतियों में उनके क्षेत्र का विस्तार किया है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, ड्रोनों को अपनाने से एसएचजी गतिविधियों में विविधता आई है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के लिए आय के अवसरों में वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र राज्य सहित पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित अध्ययन के विशिष्ट निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. किसानों ने औसतन 379 रुपये प्रति एकड़ पर ड्रोन सेवाओं का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है।
ii. 99% किसानों ने व्यक्त किया कि वे अन्य किसानों को ड्रोन सेवाओं की सिफारिश करेंगे।
iii. 82% किसानों ने पाया कि किराया शुल्क तुलनात्मक रूप से सस्ता है। 18% ने लागत को वहनीय पाया।

iv. 97% ने जल की बचत, 87% ने श्रम लागत में बचत, 74% ने कीटनाशकों में बचत, 77% ने उर्वरक उपयोग में बचत और 48% ने डीजल की बचत की जानकारी दी।

ड्रोन के किफायती उपयोग के अलावा, अध्ययन में कुछ परिचालन चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, जैसे बार-बार दुर्घटनाएं, बैटरियों का अधिक गर्म होना, मरम्मत में देरी, उच्च रखरखाव लागत, समय पर सेवा सहायता का अभाव, परिवहन संबंधी समस्याएं, बैटरी और चार्जर की कमी, तथा कैलीबरेशन एवं रखरखाव संबंधी चुनौतियां।

(घ) और (ङ): राज्य स्तर पर समिति, जिसमें राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के राज्य मिशन निदेशालय, राज्य सहकारिता विभाग, लीड बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामांकित लीड फर्टिलाइजर कंपनी (एलएफसी) के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के सदस्य शामिल हैं, ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त क्लस्टर के चयन, चिन्हित क्लस्टर में राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील महिला एसएचजी के चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों के चयन, जिलेवार ड्रोन उपयोग के आकलन, मौजूदा कमी की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों आदि के समन्वय में चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करने/सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिला स्तरीय समिति, जिला प्रशासन के माध्यम से यह निगरानी करती है कि ड्रोन सेवाओं के लिए सीएलएफ/एसएचजी द्वारा लिया जाने वाला किराया प्रचलित बाजार दर से कम हो।

"स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन का वितरण" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3966 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

क्र. सं.	एसएचजी जिले	प्रदान किए गए ड्रोन और प्रशिक्षण दिए गए एसएचजी की संख्या
1	अहमदनगर	06
2	अकोला	02
3	अमरावती	01
4	बीड	03
5	भंडारा	01
6	बुलढाणा	01
7	चंद्रपुर	01
8	छत्रपति संभाजीनगर	01
9	धाराशिव	03
10	धुले	02
11	गडचिरोली	01
12	हिंगोली	01
13	जलगांव	01
14	जालना	02
15	कोल्हापुर	05
16	लातूर	01
17	नंदुरबार	01
18	नासिक	04
19	पालघर	01
20	परभणी	02
21	पुणे	05
22	रायगड	01
23	सांगली	04
24	सतारा	03
25	सिंधुदुर्ग	01

26	सोलापुर	04
27	वर्धा	01
28	वाशिम	01
